प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2021

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी

राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ

शाह मोहम्मद बनाम सरकार

किस्म मुकदमा 136 एलआरएक्ट. नम्बर 95 सन–2021

तरीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारिख
14.12.2021	प्रशासन गांव के अभियान कैम्प कोर्ट दीपलालना में प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र पेश किया प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रार्थी को सुना गया। प्रार्थी /अधिवक्ता ने निवेदन किया की रोही मौजा चक 22 डीपीएन के खाता संख्या 107/104 की कुल 4.5543हैव भूमि दर्ज है जिसमें प्रार्थी का नाम इसराईल पुत्र हाजरा , शान मोहम्मद पुत्र हाजरा दर्ज किया गया है जो गलत है प्रार्थी का सही नाम शाह मोहम्मद पुत्र गन्नी मोहम्मद एवं इसराईल पुत्र गन्नी मोहम्मद है। प्रार्थी के समस्त दस्तावेजात , आम आदमी का आधार कार्ड , मतदाता फोटो पहचान पत्र, परिवार राशन कार्ड आदि सभी में प्रार्थी का नाम शाह मोहम्मद पुत्र गन्नी मोहम्मद एवं इसराईल पुत्र गन्नी मोहम्मद दर्ज है प्रार्थी अपना नाम राजस्व रिकार्ड में शाह मोहम्मद पुत्र गन्नी मोहम्मद एवं इसराईल पुत्र गन्नी मोहम्मद दर्ज करवाना चाहता है प्राथी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमावे। तहसीलदार नोहर की जांच रिपोर्ट /मजमे आम की जानकारी के अनुसार प्रार्थीगण का नाम शाह मोहम्मद पुत्र गन्नी मोहम्मद एवं इसराईल पुत्र गन्नी मोहम्मद है नाम संशोधन की अभिशषा की गई है। हमने पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम इसराईल पुत्र हाजरा , शान मोहम्मद पुत्र हाजरा दर्ज है एवं प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत अन्य सभी दस्तावेजात मे प्रार्थी का नाम शाह मोहम्मद पुत्र गन्नी मोहम्मद एवं इसराईल पुत्र गन्नी मोहम्मद दर्ज है प्रार्थी के नाम के सम्बध में कैम्प के दोरान संरपच के द्वारा प्रार्थी के नाम को तस्दीक किया जाकर प्रमाण पत्र पेश किया गया प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात एवं सरपंच ग्राम पंचायत किकराली की तस्दीक के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा चक 22 डीपीएन के खाता संख्या 107/104 की कुल 4.5543हैक में प्रार्थी का नाम इसराईल पुत्र हाजरा , शान मोहम्मद पुत्र हाजरा दर्ज है के स्थान पर शाह मोहम्मद पुत्र हाजरा पत्नी गन्नी मोहम्मद एवं इसराईल पुत्र हाजरा पत्नी गन्नी मोहम्मद संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु तहसीलदार को लिखा जाकर पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर (हनुमानगढ) प्रशासन गांव के सगं अभियान–2021 कैम्प कोर्ट दिपलाना	

Scanned with CamScanner

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नोहर

क्रमांक : राजस्व/रीडर/2021/1125 दिनांक :- 17/12/21

तहसीलदार राजस्व
नोहर ।

विषय :- प्रकरण अनवानी शाह मोहम्मद बनाम सरकार में पारित निर्णय की पालना करवाने के सम्बध मे।

प्रंसग :- अनवान :-

1. शाह मोहम्मद पुत्र गन्नी मोहम्मद जाति तेली निवासी दीपलाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।
2. इसराईल पुत्र गन्नी मोहम्मद जाति तेली निवासी दीपलाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम 1956

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि उक्त अनुवानी प्रकरण में निर्णय पारित किया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा चक 22 डीपीएन के खाता संख्या 107/104 की कुल 4.5543हैक्ट में प्रार्थी का नाम इसराईल पुत्र हाजरा , शान मोहम्मद पुत्र हाजरा दर्ज है के स्थान पर शाह मोहम्मद पुत्र हाजरा पत्नी गन्नी मोहम्मद एवं इसराईल पुत्र हाजरा पत्नी गन्नी मोहम्मद संशोधन किये जाने आदेश पारित किये गये है तदानुसार राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाना सुनिश्चित करे।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
प्रशासन गांव के संग अभियान-2021
कैम्प कोर्ट ....

Scanned with CamScanner